

:: सूचना ::

उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा अपने पत्रांक उ.प्र.प्रा.वि./रा०प्र०प०/2009/1632 दिनांक 18/11/2009 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की इलाहाबाद खण्डपीठ में योजित रिट पिटीशन सं० 52113/2009 (श्री नित्यानन्द बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के सन्दर्भ में श्री मानसिंह राजभर व अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की इलाहाबाद खण्डपीठ में योजित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में काउन्सिलिंग समिति की दिनांक 03/11/2009 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप ही श्री नित्यानन्द को काउन्सिलिंग के दौरान आवंटित सीट पर पठन पाठन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि इनका प्रवेश/पंजीकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णयानुसार मान्य/प्रभावी होगा।

अतः, अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के क्रम में शैक्षिक अनुभाग में अविलम्ब सम्पर्क कर, संस्थान शुल्क जमा कर पंजीकरण/प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। पंजीकरण में किसी विलम्ब के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(आर०के० खितौलिया)
निदेशक

कार्यालय निदेशक

हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर – 208 002

सं०: 434 शैक्षिक/2009-10

दिनांक: 21/11/2009

प्रतिलिपि :

1. सम्बन्धित अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से एवं उनके स्थायी पते पर पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक से।
2. सिस्टर मैनेजर, एच०बी०टी०आई० कानपुर को इस अपेक्षा के साथ कि इसे संस्थान की वेबसाइट पर अभ्यर्थी के सूचनार्थ अपलोड करवाना सुनिश्चित करे।
3. कुलसचिव, एच०बी०टी०आई० कानपुर।
4. वैयक्तिक सहायक निदेशक महोदय को इस अनुरोध के साथ कि इसे कृपया निदेशक जी के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।
5. सूचना पट्ट, शैक्षिक अनुभाग, एच०बी०टी०आई० कानपुर।

(05/11/09)
(ऑंकार सिंह)

अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप